

1 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1512/2013

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 1512/2013

संस्थापित दिनांक 11.12.2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—
गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. पंकज पुत्र ब्रजनारायण गौड़ आयु 25 वर्ष
 3. दीपेश पुत्र ब्रजनारायण गौड़ आयु 19 वर्ष
- निवासीगण नूरगंज गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियुक्तगण

(अपराध अंतर्गत धारा—294, 323/34 एवं 506 भाग—2 भा0द0सं0)
(राज्य द्वारा एडीपीओ—श्रीमती हेमलता आर्य)
(आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता—श्री पी0के0 वर्मा)

::- निर्णय -::

(आज दिनांक 22/01/2018 को घोषित किया)

आरोपीगण पर दिनांक 16.11.2013 को शाम 08:00 बजे नया बस स्टेण्ड के सामने आम रोड़ पर सार्वजनिक स्थान पर फरियादी आकाश खटीक को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित करने, फरियादी आकाश खटीक को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित करने एवं उसी समय सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी आकाश खटीक की लात घूसों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने हेतु भा0द0सं0 की धारा 294, 506 भाग—2 एवं 323/34 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 16.11.13 को सुबह करीबन 8 बजे फरियादी आकाश अपना जामफल का ठेला लेकर बस स्टेण्ड पर खड़ा था, तभी आरोपी पंकज व दीपेशवहां पर आये थे। आरोपीगण ने जामफल लिये थे फरियादी आकाश ने आरोपीगण से जामफल के पैसे मांगे थे तो आरोपी पंकज ने उसे गालियां दी थीं और कहा था कि कितने पैसे हुये। उसने आरोपीगण से कहा था कि 20 रुपये हुये हैं इसी बात पर आरोपी पंकज ने उसे मां बहन की भददी—भददी गालियां दी थी तथा दोनों आरोपीगण ने लात घूसों से उसकी मारपीट की थी जिससे

उसकी पसलियों और कनपटी में चोटें आई थी पंकज ने उसे पटक दिया था तथा दीपेश ने उसके लाते मारी थीं जो उसकी जांघों पर लगी थीं। मौके पर फिरोज, सोनू एवं उसकी चाची मीना आ गई थीं जिन्होंने बीच बचाव कराया था तथा घटना देखी थी। जाते समय दोनों आरोपीगण ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोहद में अपराध क्रमांक 221/13 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका नाया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया।

4. द0प्र0सं0 की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वह निर्दोष हैं उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये है :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 16.11.13 को 08:00 बजे नये बस स्टेण्ड के सामने आम रोड पर सार्वजनिक स्थल पर फरियादी आकाश खटीक को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया?

2. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी आकाश खटीक को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

3. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी आकाश खटीक की लात-घूसों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी आकाश शेजवार अ0सा01, श्रीमती मीना अ0सा02, ए0एस0आई0 तहसीलदार सिंह भदौरिया अ0सा03, प्रधान आरक्षक वीरेंद्र सिंह अ0सा04, सोनू अ0सा05 एवं फिरोज अ0सा06 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी आकाश अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से दो साल पहले की है। घटना दिनांक को वह अमरुद का ठेला लिये हुये था। आरोपीगण ने उससे अमरुद लिये थे और उसे पैसे नहीं दिये थे इसी बात पर आरोपीगण ने उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी थीं। साक्षी मीना अ0सा02 ने भी यह स्वीकार किया है कि आरोपी दीपेश और पंकज ने गालियां दी थीं।

8. इस प्रकार फरियादी आकाश अ0सा01 एवं मीना अ0सा02 ने आरोपी पंकज एवं दीपेश द्वारा मां बहन की गालियां दिया जाना तो बताया है, परंतु उक्त साक्षीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया

है कि वास्तविक रूप से किस आरोपी ने कौन से अश्लील शब्द उच्चारित किये थे जिन्हें सुनकर फरियादी आकाश को क्षोभ कारित हुआ था। जहां कई आरोपीगण पर गालियां दिये जाने का आरोप हो वहां फरियादी का मात्र यह कह देना पर्याप्त न होगा कि सभी आरोपीगण ने गालियां दी थीं साक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध विनिर्दिष्ट स्वरूप की होनी चाहिये। सभी आरोपीगण के विरुद्ध सामान्य स्वरूप की साक्ष्य स्वीकार योग्य नहीं होगी।

9. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी आकाश अ0सा01 ने आरोपीगण द्वारा मां बहन की गालियां दिया जाना तो बताया है, परंतु यह नहीं बताया है कि वास्तविक रूप से किस आरोपी ने कौन से अश्लील शब्द उच्चारित किये थे जिन्हें सुनकर फरियादी को क्षोभ कारित हुआ था। ऐसी स्थिति में भा0दं0सं0 की धारा 294 के संघटक पूर्ण नहीं होते हैं एवं आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः यह न्यायालय आरोपीगण को भा0दं0सं0 की धारा 294 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2

10. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी आकाश अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह व्यक्त किया गया है कि आरोपीगण ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। साक्षी मीना अ0सा02 ने भी अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने जान से खत कर देने की धमकी दी थी।

11. इस प्रकार फरियादी आकाश अ0सा01 एवं मीना अ0सा02 ने दोनों आरोपीगण द्वारा जान से मारने की धमकी दिया जाना तो बताया है, परंतु उक्त साक्षीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आरोपीगण द्वारा दी गई धमकी को सुनकर उन्हें भय अथवा अभित्रास कारित हुआ था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भा0दं0सं0 की धारा 506 भाग 2 को प्रमाणित होने के लिए यह आवश्यक है कि आरोपीगण द्वारा दी गई धमकी वास्तविक हो एवं उसे सुनकर फरियादी को भय अथवा अभित्रास कारित हुआ हो मात्र क्षणिक आवेश में दी गई तुच्छ धमकियों से भा0दं0सं0 की धारा 506 भाग -2 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है। प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी आकाश अ0सा01 एवं मीना अ0सा02 ने आरोपीगण द्वारा जान से मारने की धमकी दिया जाना तो बताया है परंतु यह नहीं बताया है कि आरोपीगण द्वारा दी गई धमकी को सुनकर उसे भय अथवा अभित्रास कारित हुआ था। ऐसी स्थिति में भा0दं0सं0 की धारा 506 भाग-2 के संगठक पूर्ण नहीं होते हैं एवं आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः यह न्यायालय आरोपीगण को भा0दं0सं0 की धारा 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 3

12. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी आकाश अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो साल पहले की है। वह घटना दिनांक को अमरुद का ठेला लिये हुये था। आरोपी दीपेश और पंकज ने अमरुद तुलवाये थे और पैसे नहीं दिये थे। उसने आरोपीगण से पैसे देने के लिये कहा था तो आरोपीगण ने कहा था कि पैसे नहीं

देते हैं, फिर आरोपीगण ने उसकी डण्डे और लात घूसों से मारपीट की थी तथा चांटा मार दिया था मारपीट के बाद उसके चाचा-चाची आये थे जिन्होंने उसे बचाया था। उसने घटना की रिपोर्ट थाना गोहद में की थी जो प्र0पी0-1 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नकशामौका प्र0पी0-2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

13. प्रतिपरीक्षण के पद क्रॉंक 2 में उक्त साक्षी का कहना है कि जिस समय झगडा हुआ था उस समय 25-30 लोग इकट्ठे हो गये थे वह आरोपीगण को घटना से पहले नहीं जानता था। उसके चांटा पंकज ने मारा था जो उसकी दाईं कनपटी पर लगा था।

14. साक्षी मीना अ0सा02 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग ढाई साल पहले की शाम 3-4 बजे की है। उसकी सब्जी की दुकान है उसके सामने एक लडका आकाश फल का ढेला लगाये हुये था आरोपीगण फल वाले के ढेले पर पहुंचे थे और फल खरीदने के पीछे उनमें से किसी ने जामफल उठाकर खा लिया था तो उनमें आपस में बहस होने लगी थी, मारपीट होने लगी थी उसका पति बीच बचाव करने पहुंचा था तो आरोपीगण ने उसके पति को पटक दिया था और उनकी मारपीट कर दी थी जिससे उसके पति मूलचंद की उंगली और सिर में चोट आ गई थी उसके पति को दोनों लडकों ने मारा था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने प्र0पी0-3 का पुलिस कथन, पुलिस को देने से इंकार किया है।

15. साक्षी सोने अ0सा05 एवं फिरोज अ0सा06 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया गया है। उक्त दोनों ही साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त दोनों ही साक्षीगण ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपीगण के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है। अतः उक्त दोनों साक्षीगण के कथनों से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

16. ए0एस0आई0 तहसीलदार सिंह भदौरिया अ0सा03 ने प्र0पी0-1 की प्रथमसूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया है एवं प्रधान आरक्षक वीरेंद्र सिंह अ0सा04 ने विवेचना को प्रमाणित किया है।

17. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

18. प्रस्तुत प्रकरण में बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा सर्वप्रथम यह तर्क किया गया है कि साक्षी सोनू अ0सा05 एवं फिरोज अ0सा06 द्वारा फरियादी के कथनों का समर्थन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन घटना प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है, परंतु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। यद्यपि यह सत्य है कि प्रकरण में सोनू अ0सा05 एवं फिरोज अ0सा06 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपीगण के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है, परंतु यहां यह उल्लेखनीय है कि फरियादी के कथनों की स्वतंत्र साक्षियों से संपुष्टि का जो नियम है वह

विधि का न होकर प्रज्ञा का है एवं यदि फरियादी के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान तात्विक विरोधाभाषों से परे रहे हों तो मात्र इस आधार पर फरियादी के कथनों को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है कि उसके कथनों की पुष्टि स्वतंत्र साक्षियों द्वारा नहीं की गई है। अब देखना यह है कि क्या प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी आकाश अ0सा01 के कथन इतने विश्वसनीय हैं जिसके कारण आरोपीगण को दोषारोपित किया जा सकता है।

19. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी आकाश अ0सा01 ने अपने कथन में बताया है कि घटना वाले दिन वह अमरुद का ठेला लगाये हुये था। आरोपी पंकज व दीपेश ने उससे अमरुद तुलवाये थे। आरोपीगण ने अमरुद के पैसे नहीं दिये थे उसने आरोपीगण से पैसे देने के लिये कहा था तो आरोपीगण ने डंडे और लात घूसों से उसकी मारपीट की थी तथा उसके चांटा मार दिया था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसके चांटा आरोपी पंकज ने मारा था। इस प्रकार फरियादी आकाश अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में आरोपीगण द्वारा लात घूसों के अतिरिक्त डंडे से भी मारपीट करना बताया है, परंतु इस बात का उल्लेख कि आरोपीगण ने डंडे से मारपीट की थी प्र0पी0-1 की प्रथमसूचना रिपोर्ट तथा फरियादी आकाश खटीक के पुलिस कथन में नहीं है। इस प्रकार फरियादी आकाश अ0सा01 का कथन प्र0पी0-1 की प्रथमसूचना रिपोर्ट तथा उसके पुलिस कथन से किञ्चित विरोधाभाषी रहा है, परंतु यह मानवीय स्वभाव है कि वह इस कारण से कि उसके कथनों पर अधिक विश्वास किया जाये कि वह घटना को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है। यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह सच एवं झूठ के मिश्रण में से सच को पृथक करे। मात्र उक्त आधार पर फरियादी के संपूर्ण कथनों को अविश्वसनीय मान लेना उचित नहीं है।

20. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी आकाश अ0सा01 ने आरोपीगण द्वारा लात घूसों से भी मारपीट करना बताया है एवं प्रथमसूचना रिपोर्ट में भी आरोपीगण द्वारा उसकी लात घूसों से मारपीट किये जाने का उल्लेख है। इस प्रकार उक्त बिंदु पर फरियादी आकाश अ0सा01 का कथन प्र0पी01 की प्रथमसूचना रिपोर्ट से पुष्ट रहा है। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है, परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन तुच्छ विसंगतियों को छोड़कर तात्विक विरोधाभाषों से परे रहा है। ऐसी स्थिति में फरियादी आकाश अ0सा01 के कथनों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।

21. जहां तक साक्षी मीना अ0सा02 के कथन का प्रश्न है तो साक्षी मीना अ0सा02 ने अपने कथन में यह बताया है कि फल खरीदने के उपर आरोपीगण की आकाश से बहस होने लगी थी, मारपीट होने लगी थी तथा जब उसका पति मूलचंद बीच बचाव करने गया था तो आरोपीगण ने उसके पति मूलचंद की भी मारपीट की थी। यद्यपि मीना अ0सा02 ने आरोपीगण द्वारा उसके पति मूलचंद की मारपीट भी करना बताया है, परंतु इस तथ्य उल्लेख प्र0पी1 की प्रथमसूचना रिपोर्ट में नहीं है और न ही इस तथ्य का उल्लेख साक्षी मीना के पुलिस कथन प्र0पी3 में है। इस प्रकार उक्त बिंदु पर मीना अ0सा03 के पुलिस कथन से विरोधाभाषी रहा है, परंतु मीना अ0सा03 ने यह भी बताया है कि आरोपीगण एवं आकाश के मध्य भी मारपीट हुई थी। ऐसी स्थिति में मीना अ0सा02 के कथनों से यह तो स्पष्ट है कि घटना वाले दिन आरोपीगण एवं आकाश के मध्य भी झगडा हुआ था।

22. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी आकाश की चिकित्सकीय रिपोर्ट अभिलेख पर नहीं है ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेहास्पद हो जाती है, परंतु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। यहां यह उल्लेखनीय है कि फरियादी आकाश अ0सा1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि उसने घटना के तुरंत बाद उसने अपनी इच्छा से मेडीकल नहीं कराया था एवं घटना के एक दिन बाद मेडीकल कराया था परंतु ऐसी कोई मेडीकल रिपोर्ट अभिलेख में संलग्न नहीं है, परंतु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भा0द0सं0 की धारा 323 के अंतर्गत अपराध को प्रमाणित होने के लिये चोटों का दर्शनीय होना आवश्यक नहीं है। भा0द0सं0 की धारा 319 में उपहति की जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार "जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य करता है, वह उपहति करता है यह कहा जाता है"।

इस प्रकार भा0द0सं0 की धारा 319 में जो उपहति की परिभाषा दी गई है उसके अनुसार रोग, शारीरिक पीड़ा एवं अंग शैथिल्य उपहति की परिभाषा में आते हैं। प्रस्तुत प्रकरण में यद्यपि फरियादी आकाश की मेडीकल रिपोर्ट अभिलेख में नहीं है एवं ए0एस0आई0 तहसीलदार सिंह भदौरिया अ0सा03 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया है कि उसने फरियादी आकाश के शरीर पर चोट के निशान नहीं देखे थे, इसलिये उसने फरियादी को मेडीकल परीक्षण के लिये नहीं भेजा था, परंतु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फरियादी आकाश अ0सा01 ने अपने कथन में आरोपी पंकज एवं दीपेश द्वारा उसकी लात घूंसों से मारपीट करना बताया है एवं फरियादी का उक्त कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान तात्विक विरोधाभाषों से परे रहा है तथा लात घूंसों से मारपीट में फरियादी आकाश को शारीरिक पीड़ा होना स्वाभाविक है, जो कि उपहति की श्रेणी में आती है। ऐसी स्थिति में मात्र मेडीकल रिपोर्ट न होने से अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

23. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी द्वारा रंजिशन आरोपीगण को मिथ्या अपराध में संलिप्त किया गया है, परंतु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है। यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जाये कि आरोपी एवं फरियादी के मध्य पूर्व से रंजिश विद्यमान है, परंतु रंजिश एक ऐसी दुधारी तलवार है जिसका प्रयोग दोनों तरफ से किया जा सकता है। यदि रंजिश के कारण फरियादी द्वारा आरोपीगण को मिथ्या अपराध में संलिप्त किया जा सकता है तो रंजिश के कारण ही आरोपीगण द्वारा फरियादी की मारपीट भी की जा सकती है। अतः मात्र रंजिश के आधार पर आरोपीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

24. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी आकाश अ0सा01 ने अपने कथन में आरोपी पंकज एवं दीपेश द्वारा उसकी लात घूंसों से मारपीट करना बताया है। साक्षी मीना अ0सा02 ने भी घटना दिनांक को फरियादी आकाश एवं आरोपीगण के मध्य मारपीट होना बताया है। उक्त साक्षीगण का आरोपीगण अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है, परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षीगण कथन कुछ विसंगतियों को छोड़कर तात्विक विरोधाभाषों से परे रहा है। फरियादी द्वारा घटना की सूचना यथाशीघ्र थाने पर दी गई है। फरियादी आकाश अ0सा01 का कथन तात्विक बिंदुओं पर प्र0पी01 की प्रथमसूचना रिपोर्ट से भी पुष्ट रहा है। आरोपीगण की ओर से उक्त तथ्यों के खंडन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है ऐसी स्थिति में अभियोजन की अखंडित रही साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है।

25. फलतः उपरोक्त चरणों में की गई विवेचना में संदेह से परे यह प्रमाणित पाया जाता है कि घटना दिनांक को आरोपी पंकज एवं दीपेश ने फरियादी आकाश की लात घूसों से मारपीट कर उसे उपहति कारित की थी।

26. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या आरोपीगण के मध्य फरियादी आकाश को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित था। उक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि आरोपीगण के मध्य सामान्य आशय निर्मित था या नहीं इसका निर्धारण आरोपीगण के कृत्य एवं प्रकरण की परिस्थितियों से ही हो सकता है। उक्त संबंध में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य आना संभव नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि आरोपी दीपेश एवं पंकज दोनों ने ही फरियादी आकाश की मारपीट की थी। ऐसी स्थिति में आरोपीगण के कृत्य से यही दर्शित होता है कि आरोपीगण के मध्य फरियादी आकाश को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित था एवं आरोपीगण ने सामान्य आशय के असरण में फरियादी आकाश की मारपीट कर उसे उपहति कारित की थी।

27. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या आरोपीगण ने फरियादी आकाश को स्वेच्छया उपहति कारित की थी। उक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य पैसे को लेकर आकस्मिक विवाद हुआ था तथा उक्त विवाद में आरोपीगण ने फरियादी आकाश की लात घूसों से मारपीट की थी। मारपीट करते समय आरोपीगण यह समझने में सक्षम थे कि उनके द्वारा जिस तरह से फरियादी आकाश की मारपीट की जा रही है उससे फरियादी आकाश को उपहति कारित होना संभावित है। आरोपीगण का ऐसा कहना भी नहीं है कि उनके द्वारा प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुये फरियादी को उपहति कारित की गई थी। ऐसी स्थिति में प्रकरण की परिस्थितियों से यही दर्शित होता है कि आरोपीगण द्वारा फरियादी को स्वेच्छया उपहति कारित की गई थी।

28. फलतः समग्र अवलोकन से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 16.11.13 को 8 बजे नये बस स्टेण्ड के सामने आम रोड पर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी आकाश की लात घूसों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी पंकज एवं दीपेश को भा0दं0सं0 की धारा 323/34 के आरोप में दोषी पाती है।

29. समग्र अवलोकन से यह न्यायालय आरोपी पंकज एवं दीपेश को भा0दं0सं0 की धारा 294 एवं 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त करते हुये आरोपीगण को भा0दं0सं0 की धारा 323/34 के अंतर्गत सिद्धदोष पाते हुये दोषसिद्ध करती है।

30. सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लिखाया जाना अस्थाई रूप से स्थगित किया गया।

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्च: —

31. आरोपीगण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सजा के प्रश्न पर सुना गया। आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि आरोपीगण का यह प्रथम अपराध है। आरोपीगण ने नियमित रूप से विचारण का सामना किया है। अतः आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जावे।

32. आरोपीगण के अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियोजन द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। आरोपीगण द्वारा नियमित रूप से विचारण का सामना किया गया है परन्तु आरोपीगण द्वारा जिस तरह से फरियादी की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की गई है उन परिस्थितियों में आरोपीगण को परिवीक्षा पर छोड़ा जाना उचित नहीं है। आरोपीगण को शिक्षाप्रद दंड से दंडित किया जाना न्यायोचित है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपीगण वर्ष 2013 से विचारण की पीड़ा को झेल रहे हैं। फरियादी आकाश को कोई दर्शनीय चोट भी नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये आरोपीगण को न्यायालय उठने तक के कारावास एवं अर्धदण्ड से दण्डित करने से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति होना संभव है। फलतः यह न्यायालय आरोपी पंकज एवं दीपेश में से प्रत्येक को भा0दं0सं0 की धारा 323/34 के अंतर्गत न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500-500 रुपये के अर्धदण्ड तथा अर्धदण्ड की राशि में व्यतिक्रम होने पर 10-10 दिवस के साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित करती है।

33. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

34. प्रकरण में जप्तशुदा कोई संपत्ति नहीं है।

35. आरोपीगण जितनी अवधि के लिये न्यायिक निरोध में रहे है उसके संबंध में धारा 428 द. प्र.स. के अंतर्गत ज्ञापन तैयार किया जावे। आरोपीगण द्वारा न्यायिक निरोध में बिताई गई अवधि उनकी सारवान सजा में समायोजित की जावे। आरोपीगण इस प्रकरण में न्यायिक निरोध में नहीं रहे है।

स्थान — गोहद

दिनांक — 22/01/2018

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रति अ
कीय / विधिक उपयोग हेतु अ

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
कीय / विधिक उपयोग हेतु अम